अनुसूची 14–फारम सं0 562।

अन्तर्गत न्यायालय समाहर्त्ता, समस्तीपुर

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक,1941 का नियम 121)

आदेश पत्रक–ता0 .... से .... तक

जिला :– समस्तीपुर, वाद संख्या 489 सन् 2020

केस का प्रकार :– बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर दं०प्र०सं० की धारा–144(1) लगाने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3

आदेश

31.10.2020 समस्तीपुर जिला अन्तर्गत बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 134–उजियारपुर, 137–मोहिउद्दीनगर, 138–विभूतिपुर, 139–रोसड़ा (अ०जा०), 140–हसनपुर में मतदान दिनांक 03.11.2020 के प्रातः 07:00 बजे से संध्या 06:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464/INST/2007-PLN-1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा Campaign समाप्ति की अवधि के पश्चात् Political functionaries/party workers/ procession functionaries/ campaign functionaries etc., इनके निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी पर प्रतिबंध का निदेश है। इस प्रकार के बाहरी व्यक्तियों द्वारा Campaign अवधि समाप्ति के उपरान्त निर्वाचन की समाप्ति तक किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्य अथवा वर्चस्व का कार्य करने से शांति भंग होने की संभावना रहती है।

अतः **मैं शशांक शुभंकर, भा०प्र०से० जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर** दं0प्र0सं0 1973 की धारा 144 (1) के तहत धारित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 134–उजियारपुर, 137–मोहिउद्दीनगर, 138–विभूतिपुर, 139–रोसड़ा (अ०जा०), 140–हसनपुर विधान सभा के मतदाताओं को छोड़कर किसी भी Star Campaigner, political functionaries/ party workers/ procession functionaries/ campaign functionaries etc., के इस क्षेत्र में मौजूद रहने पर निषेधाज्ञा जारी करता हूँ।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 01.11.2020 की संध्या 06:00 बजे से दिनांक 04.11.2020 की संध्या 06:00 बजे तक रहेगी।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से आज दिनांक 31.10.2020 को जारी किया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

ह०/–
जिला दण्डाधिकारी,
समस्तीपुर।

ह०/–
जिला दण्डाधिकारी,
समस्तीपुर।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3

ज्ञापांक 4002/ जि.विधि, समस्तीपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपिः– वायरलेस ऑपरेटर, समस्तीपुर को सम्वाद सम्प्रेषण हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), समस्तीपुर को सभी संबंधित को सूचित करने एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर/रोसड़ा/दलसिंहसराय/पटोरी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर/रोसड़ा/दलसिंहसराय/पटोरी/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), समस्तीपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि उक्त आशय की सूचना अपने स्तर से सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष/ओ0पी0प्रभारी को भी देना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकरी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी विधि–व्यवस्था कोषांग, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित अंचलाधिकारी/सभी संबंधित थानाध्यक्ष/सभी संबंधित ओ0पी0 प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर

31/10

जिला दण्डाधिकारी,
समस्तीपुर।